

13/02/2024

पत्रावली केस हुई। वकील पक्षकारों  
उपस्थित उपस्थित वकील पक्षकारों की  
बहस सुनी गई। पत्रावली का जो वकील  
मनन किया गया। प्रस्तुत बहस पत्रावली  
पत्रावली के विद्यमान अवलोकन  
मनन उपरान्त पत्रावली पर लक्ष्य का अंश  
धारा 128 एलओ आर एचए प्रारंभ पर प्रारंभ  
स्वीकार किया जात है। प्रस्तुत विधि  
पृथक से रिकॉर्ड होकर प्रारंभित मिल  
है। तल्लिए पृथक से जारी है। पत्रावली  
केसल सुधार होकर बाद तल्लिए हाकिम  
दफ्तर है। निर्णय खुले व्याख्यान में  
सुनाना जाकर मेरे हस्ताक्षर व  
व्याख्यान सुना से जारी किया गया।

मेरे

उपखण्ड अधिकारी  
साँभर लेख

